

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1779/2025

Jyoti Vaishnav W/o Late Sh. Subhash Vaishnav D/o Suresh Vaishnav,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Revision Petition No. 1803/2025

Ganesh Vaishnav S/o Chotu Das,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

S.B. Criminal Revision Petition No. 1804/2025

Rameshwari Devi W/o Suresh

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Farooq Ahmed
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Navdeep Singh

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27/04/2026

S.B. Criminal Revision Petition No. 1779/2025

याची की ओर से योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आई०ए संख्या-01/2026 पर सुना गया, जिसके अनुसार कार्यालय द्वारा चार्जशीट से संबंधित इंगित आक्षेप संख्या-3 को हटाये (Waive) जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, कार्यालय द्वारा पत्रावली में इंगित आक्षेप संख्या-3 को Waive किया जाता है।

S.B. Criminal Revision Petition No. 1803/2025

याची की ओर से योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आई0ए संख्या-01/2026 पर सुना गया, जिसके अनुसार कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप संख्या-4 को हटाये (Waive) जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, कार्यालय द्वारा पत्रावली में इंगित आक्षेप संख्या-4 को Waive किया जाता है।

S.B. Criminal Revision Petition No. 1804/2025

याची की ओर से योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आई0ए संख्या-01/2026 पर सुना गया, जिनके अनुसार कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप संख्या-5 को हटाये (Waive) जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, कार्यालय द्वारा पत्रावली में इंगित आक्षेप संख्या-5 को Waive किया जाता है।

उपरोक्त तीनों प्रकरणों के संबंध में कार्यालय अग्रिम कार्यवाही करें।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J